>

Title: Discussion on the motion for consideration of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2011 (Bill Passed).

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a request from Shri Kamal Nath to take up Item No.20 immediately after Item No.16. I think the House would be agreeable to that.

Now, Item No.20, hon. Minister.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): I beg to move:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Madam, the Delhi Special Laws Provisions Act 2006 was introduced with the objective to protect certain forms of unauthorized development from punitive action in the National Capital Territory of Delhi and to provide for an opportunity for Government agencies to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies as well as their orderly implementation.

This has been followed by subsequent legislation. The last such legislation made was a National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act 2001, which will cease to operate from 31st December 2011.

Delhi has added 30 lakhs to its population in the last decade and 44 lakhs during 1991-2001. Thus, the total addition in the last 20 years has been more than 100 per cent of the population till 1980. The Master Plan for Delhi, the MPD 2021, notified on 7th February 2007 has provided for its review and revision every five years to account for such modifications and corrections that emerged based on ground realities.

The review of MPD-2021 has already commenced and is expected to lead to the necessary modifications in the existing guidelines. The revised MPD would not only cover unauthorized colonies, villages, the village abadi areas, but the whole of the National Capital Territory of Delhi. It is expedient to introduce a legal framework to ensure that no hardship is imposed on people until the revision of the Master Plan is completed besides facilitating its smooth implementation on the ground.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली को देश की राजधानी बने सौ साल हो रहे हैं और आज ही सरकार नेशनल कैपिटल दिल्ली के एक्सटैंशन के लिए लिए आई है। मैं समझता हूं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बनता है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। दिल्ली के लिए पिछले साल ही एक साल का एक्सटैंशन लिया गया था और आज फिर से तीन साल का एक्सटैंशन लिया जा रहा है। जबकि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। खुद मंत्री जी का बयान आया कि आफिस के रूम्स में बैठकर मास्टर प्लान बना है। दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी ने यह वायदा किया था कि हम दो लाख घर बनायेंगे। इस तरह से पिछले छः सालों में करीब 12 लाख घर बनने चाहिए थे, लेकिन वे घर नहीं बने। सरकार इस बारे में कोई नीति नहीं बनाती है, बल्कि सरकार यह इजाजत देती है कि लोग अनअथोराइज बस जाएं और बाद में हम अनअथोराइज्ड कालोनीज को अथोराइज करने के लिए यहां पर चर्चा करें। दिल्ली में जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए आपने यूपीए चेयरपर्सन से सर्टीफिकेट भी बंटवा दिये। उसमें वे सब कालोनीज भी आ गई, लेकिन आज तक उन्हें अथोराइज नहीं किया गया। संसद में हर बार इस पर चर्चा होती है और सरकार हड़बड़ी में आती है। हम आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल है और दिल्ली में जो लोग आते हैं, उनके बारे में गालिब ने कहा था - कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली में जो लोग आते हैं, वे झोंपड़-पट्टी और झुग्गियों में रहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार ने उन लोगों को प्लाट्स दिये थे। लेकिन यूपीए सरकार के आने के बाद आपने झोंपड़-पट्टी के एक भी आदमी को प्लाट नहीं दिया। दिल्ली में आज सिर्फ वायदे किये जा रहे हैं। जब-जब चुनाव आते हैं, सरकार कोई न कोई वायदा यहां के लोगों से करती है और लोग उस वायदे पर भरोसा भी कर लेते हैं और शायद चुनाव में इन्हें उसका कोई फायदा भी हो जाता हो। लेकिन फिर उसके बाद सरकार हड़बड़ी में आती है। मेरा आपके जरिये मंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली में जो अनअथोराज्ड कालोनियां हैं, उन्हें अथोराइज

करने के बारे में आपने जो घोषणाएं की हैं, क्या वे घोषणाएं सही हैं तथा सरकार द्वारा लोगों को बुलाकर जो पट्टे दिये गये हैं, क्या वे सही हैं? दिल्ली के लिए डीडीए ने वायदा किया था कि गरीब लोगों के लिए दो लाख मकान बनायेंगे। डीडीए द्वारा बनाये गये एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स आज करोड़ों रुपये में बिक रहे हैं। दिल्ली में किसानों से कौड़ियों के भाव पर जमीनें ली जा रही हैं और दिल्ली डैवलपमैन्ट अथारिटी उसे करोड़ो रुपये में बेच रही है। आज दो सौ तीन सौ गज का प्लाट करोड़ों रुपये में बिकता है। आज दिल्ली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। दिल्ली में जो 20-25 परसैन्ट आबादी अनअथोराइज्ड कालोनियों में रहती है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

महोदया, दिल्ली में जो लुटियन जोन है, जिसकी आपने भी प्रशंसा की है कि यह बहुत खूबसूरत है, दिल्ली हम सबकी राजधानी है। हम सब तथा पूरे देश के लोग इस पर गर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली के लुटियन जोन से बाहर जाते हैं तो बदहाली पाते हैं। क्या वहां मंत्री जी ने जाकर दिल्ली का हाल देखा है? आज आप बिजवासन, नजफगढ़, ककरौला या झड़ौदा चले जाइये, इन सब जगहों से ज्यादा अच्छी सड़कें आज आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, जबकि दिल्ली में वैसी सड़कें नहीं है।

मैडम, मेरा आपके जरिये सरकार से अनुरोध है कि जो रीलोकेशन की जाती है, जो गरीब लोग झोंपड़-पट्टियों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए उस स्कीम को आगे बढ़ाने की कोई योजना है?

दिल्ली के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली के अंदर जान-बूझ कर किसी योजना के तहत, इसके पीछे भ्रष्टाचार की कोई बू आती है। क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर डीडीए मकान नहीं बना रहा है और लोग दिल्ली में मकान न लेकर गाज़ियाबाद जा रहे हैं। नौएडा और गुड़गांव को बढ़ाने की बात हो रही है। दिल्ली के लोग ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण, मैट्रो से यात्रा करते हैं और वहां जाकर रहते हैं। जब आपने दिल्ली के किसानों से औने-पौने दामों में जमीन ली है तब भी दिल्ली के लोगों को मकान क्यों नसीब नहीं हैं? अनधिकृत कॉलोनियों के लिए आपने जो घोषणाएं की थी, क्या आप उनको पूरा करेंगे? दिल्ली के अंदर अनधिकृत कॉलोनियों को जो प्रमाण-पत्र बांटे गए हैं, क्या वे सही हैं?

दिल्ली के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीडीए ने एक विज्ञापन निकाला है। जिसमें बताया गया है कि डीडीए के 54 साल पूरे हो गए हैं और यह बताया है कि 54 साल में डीडीए ने 10 लाख 90 हजार 229 मकान बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि डीडीए कम मकान क्यों बना रहा है? इसके पीछे कहीं आस-पास के बिल्डरों का दबाव तो नहीं है कि दिल्ली में वाल्यूम नहीं बढ़े ताकि लोग दूर जा कर बसने को मजबूर हों और दिल्ली इतनी मंहगी हो जाए कि आम आदमी दिल्ली में रहने का सपना भी न देख पाए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि गरीब लोगों के लिए आप जो प्लॉट देंगे उसके लिए कोई स्कीम लाने वाले हैं। फ़ारसी में यह कहा जाता था कि "हनोज़ दिल्ली दूर अस्त "। आज आम आदमी यह कह रहा है कि दिल्ली दूर अस्त। मतलब सौ साल के बाद भी दिल्ली दूर है। दिल्ली में काम करने वाले लोग यहां रह नहीं सकते हैं। वे बॉर्डर पार कर के बाहर जा कर रहते हैं। आप जो स्कीम ले कर आ रहे हैं, वह जल्दबाज़ी में न लाएं। विपक्ष की हमारी नेता ने आपको पहले ही कह दिया है कि आप जो बिल ले कर आएं हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हड़बड़ी में इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यह सिर्फ अमीरों का शहर बन कर न रह जाए। यहां आम आदमी और गरीबों के रहने के लिए जमीन मुहैया कराने की स्कीम को लागू करना चाहिए। जब मास्टर प्लान बना है तो आपके बयान के बाद उसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले सीलिंग करवाते हैं, फिर सीलिंग को तुड़वाने के लिए संसद में आते हैं। उस मास्टर प्लान का मतलब क्या है? अनधिकृत कॉलोनियों के बनते वक्त आप कोई कदम नहीं उठाते हैं। जो अनधिकृत कॉलोनियां पास की गई हैं, उनको आज तक आपने इम्प्लिमेंट नहीं किया है। लोगों को यह यकीन हो गया है कि दिल्ली में सरकार तो कुछ नहीं करेगी, डीडीए कुछ करेगा नहीं इसलिए लोग खुद ही दिल्ली में मकान बनाते हैं क्योंकि सरकार अनुमति नहीं देती है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज दिल्ली के सौ साल पूरे हो रहे हैं, तो मंत्री जी को दिल्ली के लोगों को तोहफ़ा देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि हम दिल्ली के बारे में चिंता करेंगे। आप लोग पिछले 6 सालों से जो गफ़लत की नींद सो रहे हैं उससे जागेंगे और आम आदमी की पहुंच में दिल्ली होगी। इस बिल का समर्थन करते हुए फिर से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के लोगों की चिंता कीजिए।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, हम दिल्ली के प्रतिनिधियों के लिए आज एक विशेष आनंद का दिन है। आज दिल्ली शहर को देश की राजधानी बने पूरे सौ वर्ष हो गए हैं। मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ कि देश के नागरिकों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि जब सन् 2007 में दिल्ली का मास्टर प्लॉन बना था और उस समय एक बड़ी भयानक स्थिति दिल्ली में फैली हुई थी जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से दिल्ली में सीलिंग और तोड़-फोड़ का एक मंजर चल रहा था। भारत सरकार जो दिल्ली की जमीन पर और उसकी प्लॉनिंग पर काबिज़ है, उसने दिल्ली के मास्टर प्लॉन को नोटिफाई किया था।

इस मास्टर प्लान के नोटिफाई होने के तुरन्त बाद, क्योंकि उस समय कई चीजें चल रही थीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहते हैं- इन इट्स विजडम, इस पूरे मास्टर प्लान को अपना लिया और कहा कि जब तक हम इस मास्टर प्लान को क्लियर नहीं करेंगे, दिल्ली में मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नहीं होगा। पहला मुद्दा, जो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी आप पांच या छह साल में रिवीजन करें, लेकिन यह जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या दिल्ली का मास्टर प्लान इस समय क्रियान्वित है या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी नजर रखे है या नहीं और क्या सुप्रीम कोर्ट एक शहरी मास्टर प्लान को बनाने के लिए कम्पिटेंट है? इस मुद्दे पर हमें सफाई चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज से देश के पूरे शहरों का मास्टर प्लान बनायेगा तो अलग बात है, नहीं तो भारत सरकार का इसमें क्या रोल है?

महोदया, इसमें एक और अजीब चीज है, जब सीलिंग और डिमॉलिशन का नजरिया चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मानीटरिंग कमेटी बनायी। मानीटरिंग कमेटी इसलिए बनायी थी कि उसे तमाम अधिकारियों पर भरोसा नहीं था कि हम जो सीलिंग या डिमॉलिशन के ऑर्डर देंगे, ये उसे सही रूप में करेंगे। इसलिए तीन या चार लोगों को दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से सुनें कि शायद ही हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसे कोई बादशाह बने होंगे। ये तीन-चार मानीटरिंग कमेटी के ऐसे सदस्य हैं, जो अपने साथ अधिकारियों का हुजूम लेकर चाहे जिस भी कालोनी में चले जायें, जिस बिल्डिंग पर अंगुली उठाकर कह दें कि यह गलत है, अधिकारी कुछ भी कहते रह जायें, वह बिल्डिंग सील होगी या टूटेगी। मजे की बात यह है कि उसके बाद रोता-बिलखता वह इंसान उसी कमेटी के सामने जाकर कई बार गुजारिश करता है कि मेरी बिल्डिंग अनऑथराइज नहीं है, गलत नहीं है और अगर वे चाहते हैं तो उसे डी-सील कर

देते हैं और चाहते हैं तो डी-सील नहीं करते। मैं सबसे पहला तो यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बिल्डिंग सील होने के बात डी-सील हो जाती है, 50 परसेंट के करीब ऐसी बिल्डिंगे डी-सील हुई हैं तो किस रूल और किस पावर के अन्दर वही मानीटरिंग कमेटी पहले तो उसे सील करती है और डिमॉलिश करती है? ये तीन या चार लोग सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के अन्दर इस पूरे प्रदेश में एक भय का माहौल बनाये हुए हैं।

महोदया, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कभी आप एमसीडी कमिश्नर से, डीडीए के वाइस चेयरमैन से और अन्य अधिकारियों से पूछिये कि किस बर्ताव से यह मानीटरिंग कमेटी दिल्ली में सील करती है और लोग रोते-बिलखते रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। मेरा पहला तो आपसे आग्रह यह है कि सरकार के पास जितनी भी ताकत हो सुप्रीम कोर्ट से बात करें, इस मानीटरिंग कमेटी के अस्तित्व को समाप्त करें, मास्टर प्लान के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहें कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमें दीजिये। आप उस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आपकी कांम्पिटेंट नहीं है और कम से कम भारत सरकार उस मास्टर प्लान को क्रियान्वित करे।

महोदया, एक और बात आती है, जिसे शाहनवाज जी ने अपनी बात में नहीं कहा, लेकिन अगर आज सौ साल हमारी राजधानी को हुए हैं तो सौ साल हमें पूरा राष्ट्र का दर्जा मिले हुए भी हो गये हैं, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चाहे हमारी सरकार रही हो। यह इस संसद की या भारत सरकार की कुछ अजीब मंशा है कि बाकी राज्यों को तो आप ताकत देते चले जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के दौर में देते चले जा रहे हैं, स्टेट्री ऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाते रहते हैं, दिल्ली को जरा सा भी ज्यादा अधिकार देने में न जाने क्यूं यह संसद या भारत सरकार हिचकती है? यहां डीडीए है, जो यहां प्लानिंग करती है या घर बनाती है, वह दिल्ली सरकार के तहत नहीं है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के तहत नहीं है। आज शाहनवाज जी सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, वे यह बात बताना भूल गये कि जिन चार इलाकों की सड़कें उन्होंने बतायीं थीं, वे एमसीडी की सड़कें हैं, जिस पर उनकी सरकार काबिज है और इसलिए वहां की सड़कों का यह हाल है, लेकिन वह बात अलग है, कई बार चीजें कन्वीनिएंस में भूल जाते हैं। अगर आपको सड़क भी बनानी हो तो सबसे पहले डीडीए से परमीशन लीजिये, डीडीए को दिल्ली में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। जब तक आप यहां की महत्वपूर्ण या मूलभूत चीजों को यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के अन्दर नहीं देते हैं तो किस तरह से आपको लगेगा कि एक राजधानी या एक राज्य अपने अंदर की चीज कर सके? सड़क आप बनाइये तो ट्रैफिक भारत सरकार के अन्दर है, स्लम्स की रीहैबिलिटेशन आपके पास है तो स्लम्स के लिए जमीन देना डीडीए के अन्दर है। यहां एक अजब सी व्यवस्था बना रखी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, तीन या चार दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने भी जवाब देते हुए कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मसले पर हम आपस में चर्चा करेंगे।

महोदया, हमेशा यहां केवल एक आश्वासन रह जाता है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ने पिछले सात-आठ साल में शायद कोई मीटिंग भी बुलाई होगी कि दिल्ली को किस तरह से राज्य का दर्जा दिया जाये? मैं सबसे आग्रह करूंगा क्योंकि इसमें सब बराबर है, जब आप लोग इधर थे तो आपने भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं किया, हम लोग इधर आये तो हम लोग भी इसे गंभीरता से कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों को यह पता चल जाये कि वे आधे दर्जे के साथ आगे जिन्दगी जियेंगे तो उस हिसाब से हम उनके लिए इन्तजाम करें। ऐसा न हो तो यह पता चले कि कुछ तो दिल्ली के नागरिकों को अपनी सरकार चलाने के लिए व्यवस्था की जाये।

एक-दो छोटी-छोटी बातें, जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। एक खास बात अनएथोराइज्ड कॉलोनीज़ की शाहनवाज खां साहब ने बतायी है। शाहनवाज जी मैं आपको भी उसकी प्रक्रिया बता देता हूं।...(<u>व्यवधान</u>)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैं खां नहीं हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित : सॉरी-सॉरी।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए, गलतियां नहीं होंगी।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, नाम में गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

मैडम, दिल्ली में करीबन 15 सौ अनएथोराज्ड कालोनीज़ बनी हुई हैं। प्रक्रिया की गई और तीन साल पहले अनएथोराइज्ड कालोनीज़ को प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिया गया। यह इसलिए दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर था कि हमारी अनाधिकृत कालोनी में न सड़कें बन सकती हैं, न बिजली के कनैक्शन दिए जा सकते हैं, न सीवैज के कनैक्शन दिए जा सकते हैं और न पीने के पानी की सुविधा की जा सकती है। एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेशन दिए। नक्शे बुलवाए गए वहां के लोगों के द्वारा और उसके बाद उसमें से करीब 90 प्रतिशत, डेढ़-दो सौ कालोनियां छोड़कर बाकी सभी में पानी, बिजली, सीवैज की सुविधा करायी गई। आज जो प्रोसैस चल रहा है, इसको एथोराइज़ करने का, इसमें फाइनल प्रोसैस में जो रूल है कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कार्पोरेशन उन कालोनियों की जो दिल्ली सरकार उसके पास भेजती है, उसका फाइनल नक्शा तैयार करके, वह दिल्ली सरकार को भेजेगी और व एथोराइज़ होंगे। शायद शाहनवाज जी को यह नहीं मालूम है कि नौ सौ कालोनीज़ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को भेज दी गई हैं और पिछले डेढ़ साल में इनके म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को टाइम मिला है केवल डेढ़ सौ का नक्शा पास करने का। अपनी सरकार को कह दीजिए 15 सौ के नक्शे पास कर दे, भारत सरकार उन 15 सौ कालोनियों को एथोराइज कर देगी। यह कहना कि भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत सरकार तैयार है। आपके लोग एमसीडी पर काबिज हैं। डेढ़ सौ की जगह 15 सौ कर दीजिए, कल सारी की सारी एथोराइज हो जाएंगी, कोई इसे नहीं रोक रहा है।

मैं आखिर में बात कहने से पहले अपनी एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से सांसद यहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के सांसद यहां बैठे हैं। आपसे एक छोटी सी अपील है कि दिल्ली में बहुत सी जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। मेरा एरिया, यमुना पार का एरिया पहले मेरठ के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्ष 1947 के बाद उस एरिया को काटकर के, चाहे जो कारण रहा हो, दिल्ली से जोड़ दिया गया। यमुना जी और उसके आस-पास का जो तमाम इलाका था, क्योंकि दिल्ली छोटा राज्य था, एक यूनियन टैरीटरी थी, प्रबंधन के कारण यूपी इरीगेशन की बहुत सी जमीन यूपी सरकार को दे दी गई और उस पर काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे से यह लोग फ्लड का काम करते हैं। लेकिन आज उस हजारों हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता दिल्ली को अपनी जरूरतों के लिए है। हमें स्कूल्स बनाने हैं तो यूपी इरीगेशन की परमीशन लेनी पड़ती है। मेरा केवल आग्रह यह है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से बात कर चुकी है कि आप अपनी इरीगेशन की व्यवस्था से जुड़ी हुई जमीन का इस्तेमाल कर लें, बाकी की जमीन दिल्ली को हमारे काम के लिए हस्तांतरित कर दें। मैं कोई राजनैतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इसको अन्यथा न लें। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम दो सौ एकड़ जमीन है, जिसे नोएडा एथॉरिटी ने जेपी को दे दिया है। जेपी की जगह उस जमीन को हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए दें। मैं कोई वैसा कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई भी आपका कारण होगा।...(<u>व्यवधान</u>)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please take your seat. Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री सन्दीप दीक्षित : यह तो हमारी जमीन है। दारा सिंह जी, इसमें आप क्या लेना चाहते हैं, आप जानो और भारत सरकार जाने। यह दिल्ली की जमीन है। हमारे स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन है। हमारे पावर में वह जमीन पड़ती है।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए। Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि यह किसी एक सरकार की बात नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस तरफ संबोधित कीजिए।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैडम, जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार होती है, उसका यही रवैया होता है। हमारे यहां की जमीन है, यदि वह हमारे इस्तेमाल में आ जाए, नहीं आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बारे में भी मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो तमाम जमीन दिल्ली में पड़ी हैं, इसके लिए भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाए और किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल करे। हमें जो जमीन की कमी पड़ रही है पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हमें उम्मीद मिले।...(व्यवधान) मैडम, मैं पहले ही कह रहा था कि इसे अन्यथा न लें।

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे संबोधित कीजिए। Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

श्री सन्दीप दीक्षित : इन्हें जेपी के नाम पर कोई बात अन्यथा क्यों लग जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा था, मैं तो केवल अपनी बात को दर्शाना चाह रहा था। यह दिल्ली की जमीन है, जो उसे मिलनी चाहिए।

मैडम, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा और शाहनवाज जी मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहूंगा। मैं अपनी बात जोरदार तरीके से शहरी विकास मंत्री जी से कहूंगा कि आपने जो यह डीडीए नाम का यहां जानवर खड़ा कर रखा है। मैं जानबूझकर यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। पूरे हिन्दुस्तान में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस के मकान बन रहे हैं। डीडीए से पूछ लीजिए, पिछले चार-पांच साल में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के अंदर ईडब्ल्यूएस का एक भी मकान डीडीए ने दिल्ली में नहीं बनाया है।

आप भारत सरकार से डी.डी.ए. को दिल्ली सरकार में भेजने की बात करें तो आपको हजारों एक्सक्यूज मिल जाते हैं कि यह क्यों नहीं हो सकता। वही डी.डी.ए. जो दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी है, आज मज़ाक में उसको दिल्ली डिस्ट्रक्शन ऑथोरिटी के नाम से जाना जाता है। शाहनवाज़ जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। डी.डी.ए. ने एक भी मकान नहीं बनाए। फिर भी डी.डी.ए. को भारत सरकार के अंदर रखने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं मालूम है। सारे कंस्ट्रक्शन को वह रोक कर रखता है। अगर आपको कोई जमीन चाहिए तो उसमें डी.डी.ए. को दिक्कत आती है। मैंने आज सबेरे पढ़ा कि मंत्री जी ने डी.डी.ए. से आग्रह किया कि उद्योगों के लिए जमीनें दीजिए। आप सरकार हैं। आप सरकार हैं कि डी.डी.ए. सरकार है? आपको डी.डी.ए. से आग्रह नहीं करना चाहिए। आपको आदेश करना चाहिए कि अगर उद्योगों के लिए दिल्ली को जमीन की जरूरत है तो यह दी जाए। यह पूरी मानसिकता ही गलत है। जो चार अधिकारी डी.डी.ए. में बैठे हैं, और डी.डी.ए. का जो वाइस चेयरमैन है, क्या वह तय करेगा कि आपको उद्योगों के लिए जमीन चाहिए? फिर आप क्या करेंगे? आप दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के सिरमौर हैं। हम लोग दिल्ली से चुन कर आते हैं। डी.डी.ए. और ऐसी संस्थाओं की मानसिकता ही ऐसी हो गयी है कि दिल्ली पर कुण्डली मारकर ये लोग बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे संसद में हमें समर्थन मिलेगा क्योंकि दिल्ली किसी की नहीं है। यह पूरे हिन्दुस्तान की है और हम सब चाहते हैं कि इसका विकास बेहतर तरीके से हो।

महोदया, मैं शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे न केवल इस बिल को पास कराएं, बल्कि मास्टर प्लान को फाइनल करें। दिल्ली की जो व्यवस्था है इसको चलाने के लिए, जो भी सरकार आएगी, उसको इस व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था चाहिए होगी। इसलिए आप दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों को ज्यादा अधिकार देने की बात को ज्यादा गंभीरता से सोचें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) जैसा कि सर्वविदित है कि 12 दिसम्बर, 1911 को दिल्ली बनी। आज 12 दिसम्बर, 2011 हो गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपके पीछे माननीय सदस्य क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : दिल्ली को राजधानी बने एक सौ वर्ष पूरे होने के लिए मैं पूरे सदन सहित दिल्ली के सभी वासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सम्मानित मित्र शाहनवाज़ जी और संदीप दीक्षित जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां तक देखा गया है और यह कहा भी जाता है कि दिल्ली दिलवालों की है। दिल्ली किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। दिल्ली में बाहरी लोग आए। उन्होंने यहां का निर्माण किया, यहां की सुरक्षा का काम किया। अगर देखा जाए तो दिल्ली के निर्माण और सुरक्षा में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों ने दिल्ली के निर्माण और इसकी सुरक्षा को लेकर अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसमें खपा दिया। कभी-कभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग जि यहां आते हैं तो उनको जब यह कहा जाता है कि ये लोग गंदगी पैदा करते हैं तो बड़ा अफ़सोस होता है। यह टिप्पणी हम लोगों को बहुत कलंकित करती है और इससे बहुत दुख होता है। मैं चाहूंगा इस प्रकार की टिप्पणी आइन्दा से बिल्कुल बंद होनी चाहिए।

अभी एक और बिल आया था। वह एन.डी.एम.सी. का बिल था, उस समय भी मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री जी दिल्ली को थोड़ा न आँकें। इसे टेरिटोरियल यूनियन का दर्ज़ा न देकर अगर पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दे दीजिए तो मेरे ख्याल से दिल्ली का और विकास हो सकता है। मैं इसके लिए पुरजोर सिफारिश करता हूं।

अभी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना की बात कही गयी है। दिल्ली तो ऐसे ही विकसित है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, लेकिन मेरे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में आज तक पैसा बहुत धीमी गति से गया है। इलाहाबाद का हाल बहुत बुरा है। सीवर लाइनें वहां खोद दी गयीं और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुम्भ मेला आने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना में जो पैसा आप अन्य जगहों पर दे रहे हैं, उसको समय से दीजिए ताकि वहां पर विकास हो सके।

दिल्ली को ल्यूटिएन्स जोन घोषित किया गया था। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। इलाहाबाद ने देश को सात-सात प्रधानमंत्री दिए हैं। इसलिए वहां विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली के ल्यूटिएन्स जोन के आप बाहर जाएंगे तो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां पर अनधिकृत कॉलोनियों के अलावा सीवर लाइन्स और सड़कों की व्यवस्था इतनी बदतर है कि वहां जाने का मन नहीं करता।

वहां तमाम लोगों के मित्र, सहयोगी, पड़ौसी एवं रिश्तेदार रहते हैं। हम वहां पर जाकर देखते हैं, मंत्री जी, वहां की हालत बहुत खराब है। जैसे आपका लुटियन जोन दिल्ली का है, उसी प्रकार से दिल्ली के आउटर साइड में एनसीआर की तमाम जगह हैं, उनका भी डेवलपमेंट करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी जो आपने यमुना के किनारे कॉमन वेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों के रूकने के लिए एक कालोनी बनाई है, उसकी आपने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं चाहूंगा कि आप उसका अलॉटमेंट करें, हमारे बहुत से सम्मानित संसद सदस्य वहां फ्लेट लेने के लिए इच्छुक हैं। अगर वहां इन्हें सुविधा दे दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम होगा।

इन्हीं बातों के साथ इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you Madam Speaker. I would like to express my sincere gratitude for giving me an opportunity to speak on this Bill. With your permission, as a man coming from the extreme South, I would like to do a *salam* to Delhi during the Centenary Year of Delhi.

There is a joke about Delhi that Delhi is everybody's city, but a no man's land. People are coming to Delhi in search of job, to have a secure life and to earn daily bread for their family members. Madam, through you I would like to get a clarification from the hon. Minister as to whether we are shifting the goal post year by year or every five years. You know very well much better than any of us here that Delhi was a safe place to live. Living in Delhi was enjoyable. But it was some 30 years back. Now, we do not have water; we do not have habitation facilities. I am not saying anything about sewage facility. Not only the common man and the poor people, but even the Members of Parliament, who are sitting in this august House, suffer a lot. We are at the mercy of the bureaucrats of Delhi. Everybody knows about what corruption is when he comes to Delhi, lives in Delhi and works in Delhi.

MADAM SPEAKER: Please, be brief.

SHRI A. SAMPATH : I will take only two minutes. This is a very important Bill, but what I am saying is also very important.

We are all proud of the success of the Commonwealth Games. It has been a record that more than one million people have come from various States to find their jobs in Delhi. But, I would like to know whether the Government or the Departments concerned have any data regarding them – as to where they have come from, how many of them have gone back, where are they living? No data is there. It is all guesstimates. Just like guess work and estimates. Guessing plus estimates is equal to guesstimates. That is what is happening.

There have been allegations, if not criticisms, that under the pretext of helping the poor or those who are living in *jhuggies*, we are regularizing and helping the illegal construction done by large industrial houses, rich and affluent. My humble request is that the law should not be beneficial only for the rich and affluent, but the Government has a duty to protect the poor.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI A. SAMPATH : We are all proud of the National Capital Territory of Delhi. We are proud of this Capital city. But, at the same time, we feel pity because even during this winter time we see hundreds of families along with their small children begging before us, without having any cloths and shelter.

We have a responsibility towards those people also. We have to answer those people because they are the people of this nation.

My humble opinion is that it is not because of the lack of laws, it is not because of the inefficiency of the laws, but because we are not at all interested in implementing those legislations or laws. Till now we are sleeping over the laws which have been made in this country. We are not looking at even the conventions of the International Labour Organisation (ILO) to which we are a party.

This is all what I have to say. I respect this law. I know the urgency of this legislation. I seek your help also in rectifying the anomalies in this Bill.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आप मुझे कृपया अनुमति दीजिए कि मैं यहां से अपनी बात संक्षेप में रख सकूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जहां पर आपकी सीट है, वहीं से बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : सीट खोजनी पड़ेगी, कहां गई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हां, वहीं जाइये। जहां सीट है, वहीं जाइये।

श्री विजय बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। ...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, जरा सुनिये।

मैं आज नेशनल कैपीटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली के बिल पर दो बातें बोलना चाहता हूं। करीब 40-50 साल से मैं दिल्ली आ रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था तो यहां Lाषश्चेव साहब और बुल्गानिन साहब आये थे, तब मैं पहली बार यहां प्रदर्शनी में आया था, तब से दिल्ली रोज खोदी जा रही है, रोज बनाई जा रही है। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अब रीसेंटली एम.सी.डी. और डी.डी.ए. में एक परमानेंट कोल्ड वार चल रही है और यह कोल्ड वार खत्म नहीं होगी। जब किसी की रैस्पोंसिबिलिटी होती है तो वह कहता है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यह वालीबॉल और बास्केटबॉल कब तक चलेगी? इसका एक विराम और इसका एक एक्सपर्ट सोल्यूशन होना चाहिए।

दूसरी चीज़, अगर सही में विचार करें तो उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को 7-7 प्रधानमंत्री दिये हैं और जब हमने प्रधानमंत्री नहीं दिये तो पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ा गई तो फिर प्रधानमंत्री हम लोग देंगे, चाहे वह मेल हो, चाहे फीमेल हो। हम फिर प्रधानमंत्री देंगे।...(व्यवधान) मेरा कहना यह है कि जैसे...(व्यवधान) सुन लीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप विषय पर आइये और चेयर को सम्बोधित करके विषय पर बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं। जब-जब यज्ञ होता है तो â€¦ * विघ्न डालते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स निकाल दीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि 50 लाख से ज्यादा...(व्यवधान)

यह अनपार्लियामेंटरी वर्ड नहीं है, आप उसकी बैकग्राउंड देखिये।

अध्यक्ष महोदया: आप चेयर को सम्बोधित करिये और दिल्ली पर बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : 50 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के निवासी यहां आते हैं और यहां रहते हैं। अगर आप सही में आकलन करें तो आपने उन्हें क्या दिया, उसमें बिहार के लोग भी हैं? कॉमनवैल्थ गेम्स में रातों-रात उनको भगा दिया गया। क्या कोई व्यापक योजना उनके रहने और ठहरने की बनाई गई? अगर आपको हमारी लैंड या उत्तर प्रदेश की लैंड से परेशानी है, आप उसको मैनेज नहीं करते तो उसे वापस दे दीजिए और अगर नहीं तो देख लीजिए कि इस समय दिल्ली में और एन.सी.आर. में नोएडा और ग्रेटर नोएडा is one of the best localities. हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहां पर एयरपोर्ट बनने दीजिए, लेकिन कुछ राजनैतिक कारणों से वह ठंडे बस्ते में चला जा रहा है।

दूसरी चीज़ मैं यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत लोग आते हैं और वे यहां 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं। उनको एस.सी. एस.टी का सर्टिफिकेट उनके जायज़ कागजों से भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह देश की राजधानी है तो उसी तरह उतार चित्त से इतना ट्रांसपेरेंट एक्ट बनाइये कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : जिससे कि दिल्ली में सही में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके और अगर यह नहीं होगा तो एक समय आयेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आएंगे, वे अपना प्रधानमंत्री लाएंगे, तब दिल्ली की दशा ठीक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात आपका समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I stand here to deliberate on this Bill which was introduced

today which instantaneously we are discussing, and most probably will be passing it. The Bill clearly defines the 'National Capital Territory of Delhi', which was actually introduced keeping the cases in Supreme Court and High Court of Delhi in view. There were part-time or annual amendments that were made or were sanctioned by this House or by the other House, or both Houses of Parliament. Of course, you have mentioned about completion of 100 years, that is, from the11th of December, 1911, when the Durbar had taken place in this place. At that time, what I have read in newspapers was that it was Bengal's or Eastern India's loss and was Delhi's gain.

Today the general discussion throughout the country, especially in northern India is if Bihar grows, if Bihar develops, it will be the loss of the nation because whatever development has taken place either in Punjab, in Kashmir Valley, in Mumbai, or in Delhi is because of the expertise that Bihar exports. If Bihar develops, under Nitish Kumar's leadership and administration, then it will be a loss of the nation. These are the two contradictory views -- that whether Calcutta's loss was Delhi's gain, or whether the nation's loss is Bihar's gain. That is a different matter and a different topic which can be discussed later.

But here when Vijay Bahadur Singhji was searching for his seat, I am reminded at that time long years ago, in our Puranic ages, determining a Capital was also discussed by Vyasa Deva in *Mahabharata*. Hastinapur was the Capital of the Kauravas. But at one point of time, the Capital was shifted by the Pandavas after the division of that land. A barren land was given to the eastern part of *Yamuna*. That eastern part of *Yamuna* was later on developed to such an extent that it made a competition and became much more prosperous. That was called Varanavata. That was the cause of envy of the Kauravas including Dhuryodhan which ultimately led to the *Kurukshetra War*.

Today when I was listening to Mr. Vijay Bahadur Singh, he was referring to Noida, and Greater Noida. Here, the concept of 'city' has to be looked into. I was going through the Statement of Objects and Reasons. ...(*Interruptions*) मैं हरियाणा की बात भी कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को संबोधित करके बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): हम उनकी मदद कर रहे हैं, गुड़गांव भी है।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। Nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today, we have to look into the urban areas. The more the urban areas grow, the more prosperous is the nation. Whichever country where the urban centres have grown, the prosperity is also made in that nation. In that respect, the urban areas have to grow but not at the cost of the rural areas. In that respect, equilibrium has to be established that the rural areas and the rural people who are dependent on rural economy should not feel divested of the support mechanism that is provided in a rural area. In that respect, I remember a very old story which I used to hear from my Grandmother.

According to that story "a city is like an old woman who always attracts younger people towards her". And city always attracts youth, attracts talent and those youth and talent are attracted from the rural areas. Today, the rural area is divested of youth force. It is all confined to the city and the city has to grow. But when the city is growing, adequate support mechanism should also be made and in this Bill, it is mentioned that you have a master plan upto 2021. Several IITs are also making surveys supported by the Government mechanism. Why cannot we have a master plan keeping twenty five years and another fifty years in view? We have Urban Renewal Mission which also looks after ten to fifteen years in view. So, keeping these twenty-five years in view, this Bill is comprehensive in the sense you are taking five years that is upto 2014 and you have master plan upto 2021. Think of 2050 keeping thirty years in view so that you can know the areas which you are going to develop.

I remember twenty years ago, the then Urban Development Minister showed us some projects saying these will be the metro projects. At that time many media people also laughed whether this is going to be possible in our capital. But this was twenty or twenty five years back when the then Urban Development Minister had shown but today it has become a reality. So keeping another thirty years in view, the master plan has to be developed and accordingly all these aspects also need to be looked into.

I would like to understand from the Minister that why was this annual extension being made? There was no compulsion from the court as you have come today with three years that is upto 2014. Similarly, why can't we have a

better law for consideration of farm houses, schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions where all these development are taking place and extension is also taking place.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would also like to know that encroachment is not only done by the slum dwellers, done by the *Jhuggi-jhopries* but also by many others. In Delhi whenever you go out, you can see encroachment is also being done by the land owners, the property owners of Delhi and that also needs to be looked into and adequate steps be taken to control this kind of encroachment which are being done by the rich, so-called rich or rich people of middle class and rich people who reside in Delhi. With these words, I support the Bill.

श्री लालू प्रसाद (सारण) : हम कोई खास तैयारी कर के नहीं आए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और यह पूजी हुई भूमि है। कृष्ण भगवान जी का महाभारत और छप्पन कोटि यदुवंशी-शक का युद्ध यहीं हुआ। दिल्ली में देश भर के लोग आते हैं। खास कर बिहारी और यूपी से लोग आते हैं तो भागो, भागो....। देश को बिहार और उत्तर प्रदेश ने क्या नहीं दिया है? देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद जी हुए। उत्तप्रदेश से देश को प्रधान मंत्री मिले। देश और अंतरराष्ट्रीय जगत के जितने होनहार लोग हैं, यहां हर तरह के लोग रहते हैं। दिल्ली में साधारण लोग नहीं रहते हैं जो देश का हवा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं तो यह मामूली बात नहीं है। दिल्ली को सजाइए और बढ़िया से सजाइए। शीला दीक्षित जी ने महिला होते हुए प्रयास किया है। उन्होंने बिहारियों को यहां स्थान दिया है और वह स्वीकार कर रही हैं।

वे बिहार और उत्तर प्रदेश की अहमियत को स्वीकार कर रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाइए और देश के गांवों को छोड़ दीजिएगा, तो फिर बात अच्छी नहीं बनती। बिहार ने हमें देश के एक महान् नेता जगजीवन बाबू दिए। वे जिस भवन में रहते थे, जहां हम उनसे मिलने जाते थे, मैं इनका मन और मिजाज देखता हूं, सब लोगों ने लड़कर जो स्मारक बनाया है, ये उस मकान का किराया भी चार्ज करते हैं। यह बहुत गंदी, बुरी बात है, इसे खत्म करना चाहिए। इसे बिहार और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इन चीजों को मन और मिजाज से हटाइए।

दिल्ली में जितनी कालोनियों के बारे में बोला जा रहा है, एनडीएमसी आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने जो बताया, यह सब मकड़ी जाल है। कैसे शोषण किया जाये, दोहन किया जाए, कैसे घूसखोरी की जाए। एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एनडीएमसी और डीडीए को अन्ना जी के हवाले कर दिया जाए। वे इसके भ्रष्टाचार को देखें। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सीमित नहीं है, यह गाजियाबाद से नोएडा तक चला गया है, फिर जयपुर तक चला जाएगा। इस समूची जगह का मिलान हो गया है। दिल्ली को विकसित करने के बारे में मुख्य मंत्री जी पर प्रैशर है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन बीजेपी वाले शीला दीक्षित जी को स्थिर नहीं रहने देना चाहते, समय-समय पर उपद्रव मचाते रहते हैं।...(व्यवधान) उन्हें काम करने देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लालू प्रसाद जी की बात के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री लालू प्रसाद : जब बिहार और यूपी को दिल्ली में बैठे हुए लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो वे

यह भूल जाते हैं कि जिस दिन हम चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, क्या तब बिजली आएगी। जो ट्रांसमिशन लाइन है, देश में सब जगह से बिजली आ रही है, लोग लिफ्ट में अप, डाउन हो रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, यह बिहार के गांवों के लिए पैदा नहीं हो रही है, दिल्ली के लिए हो रही है। सारी बिजली यहां आ रही है। ठीक है, यहां बिजली रहनी भी चाहिए। अगर बिजली नहीं रहेगी, और लोग लिफ्ट में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे।...(व्यवधान) दिल्लीवासियों को फुल-फ्लैज्ड, हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा काम यह है कि दिल्ली को फुल दर्जा दीजिए, पूरा इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो हमारी मां यमुना है, वह कृष्ण के पैर को पखारने के लिए लालायित थी। आज हम लोगों ने यमुना की क्या हालत बनाकर रखी है।...(व्यवधान) पूरा नाला बनाकर रख दिया है। हजारों, करोड़ रुपये खर्च हुए। चाहे छठ कीजिए, हम मथुरा भी गए थे, हमने काफी अपवित्र करके रखा हुआ है। हमें सब काम छोड़कर यमुना की सफाई करनी चाहिए, मां यमुना को गंदगी से मुक्त करना चाहिए। वह अमृत जल है। गंगा के जल से दिल्ली को पीने का पानी मिल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने ठीक कहा कि गुड़गांव बढ़िया, डेकोरेटेड शहर बन रहा है, लेकिन नीचे पानी नहीं है। अंडरग्राउंड पानी खारा है। मंत्री जी, इस सारे इंतजाम में लगना चाहिए। आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रदेश बन रहा है। माननीय मायावती जी ने प्रपोज़ किया है। वह बनेगा या नहीं, हम सब समझते हैं। ...(व्यवधान) हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। शीला जी के पुत्र अभी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी यहां तक सटा हुआ है। यूपी तो छाती पर चढ़ा हुआ है। यहां से लेकर बिहार तक चले जाइए। हम लोग ही हैं।...(व्यवधान) नेपाल को छोड़िए। किशनगंज से शुरू कीजिए, यूपी, बिहार दोनों में हम लोग एक दीवा में चढ़े हुए हैं।...(व्यवधान)

13.00 hrs.

मैडम, हम वही बात कर रहे हैं। अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पर प्रैशर है, इसलिए काम करने देना चाहिए। शीला दीक्षित जी काम भी कर रही हैं। निश्चित रूप से बिहारियों को, बिहार के हजारों-लाखों मजदूर, यूपी के मजदूर मारे-मारे फिरते हैं, उनके लिए शैल्टर, आवास, होस्टल्स, क्योंकि वहां से महिलाएं और पुरुष आते हैं, आदि का इंतजाम करना चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का इंतजाम और हर तरह की संस्था का इंतजाम करना चाहिए। यदि आगे से ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम युद्ध शुरू करेंगे। माननीय स्वर्गीय जगजीवन बाबू जी के नाम पर उन्हें डिमॉरलाइज करने के लिए आपने जो चार्ज किया है, उस समय के चार्जेज को तुंत वापिस कीजिए, नहीं तो ...(व्यवधान) अगर नहीं हुआ तो आगे से हम एक भी बिल पास नहीं करने देंगे।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): अध्यक्ष महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद करता हूं। मैं उनके सुझाव, विचार और टिप्पणियों का भी स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी चुनौती शहरीकरण की है। दिल्ली उसका सबसे मुख्य कारण है। दिल्ली में जो बढ़ती हुई आबादी है, केवल यही चिंता की बात नहीं है। परन्तु साथ-साथ देश की विभिन्न नगर पालिकाएं, नगर निगम, महा नगर निगम हैं, जो शहरीकरण की रफ्तार है, वह बढ़ती जा रही है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स मे देखें, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में आबादी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे महानगर जैसे दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू आदि में आबादी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम और महा नगर निगम में आबादी बढ़ रही है। अब जैसा भी विकास हो, उस विकास के साथ कुछ बोझ भी आता है और सबसे बड़ा बोझ शहरीकरण का होता है। इसलिए केन्द्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम की योजना छः साल पहले स्वीकृत की थी। जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, उसे केन्द्र से सहायता मिले। राज्यों को उससे सहायता मिले, यह एक पहला प्रयास था। मैं स्वीकार करता हूं कि पहले प्रयास में कुछ कमी या खामी होगी, क्योंकि यह पहली दफा लागू की गयी थी। अब जो जेएनएनयूआरएम योजना है, उसका यह अंतिम साल है। हम जेएनएनयूआरएम-टू, उसके दूसरे भाग को लागू करने की एक योजना बना रहे हैं। आपके सुझाव हों, हमारे साथियों के सुझाव हों या राज्यों के सुझाव हों कि जो कमी या खामी है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जाये और अपने देश के छोटे, बहुत छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरों को सुधारने का प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने कहा कि मास्टर प्लान में कमी, खामी है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैंने ओपनली यह बात कही है, क्योंकि जब भी मास्टर प्लान बनता है, उसकी शुरुआत होती है, जब तक उसका समापन होता है, यानी मास्टर प्लान तैयार हो जाता है, वह बहुत पुराना हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराना मास्टर प्लान है, इसलिए एक नये मास्टर प्लान की आवश्यकता है। इस दफा हमारा यह प्रयास है, इसलिए मैंने सदन से एक साल का समय न मांगकर तीन साल का समय मांगा है, ताकि एक सही मास्टर प्लान बने। ऐसा मास्टर प्लान जो सब कुछ सम्मिलित कर ले। आज आवश्यकता केवल दिल्ली के मुख्य जगहों की नहीं है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां हमारे गल्ले के गोडाउन्स हैं। हमारी बहुत सारी वेयरहाउसिंग हैं चाहे वे केमिकल्स की हों या पेपर्स की हों। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाये, क्योंकि आज दिल्ली कोई कृषि क्षेत्र नहीं रहा। हम दिल्ली में बहुत सारी जमीन को देखकर कहते हैं कि यह एग्रीकल्चरल लैंड है। परन्तु यहां कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है? आज राजधानी दिल्ली जो एक बहुत छोटा सा राज्य है, उसका एग्रीकल्चर के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी, जिक्र किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स का। माननीय सदस्यों को याद होगा कि एशियन गेम्स वर्ष 1982 में हुए थे, उस समय बहुत सारे मजदूर दिल्ली में काम करने के लिए आए थे, स्टेडियम बनाने के लिए आए थे, उनमें से 90 प्रतिशत वापस नहीं गए। झुग्गी-झोपड़ियां उस समय से दिल्ली में उत्पन्न होनी शुरू हुई और आज तक, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, बहुत सारा लेबर जो आता है, बहुत से लोग जो काम करने जाते हैं, वे वापस नहीं जाते हैं। आज जो आर्थिक गतविधि है, सभी जगह मैगनेट आर्थिक गतिविधि होती है, जहां आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, वहां लोग पहुंचते हैं। आज हमारे छोटे-बड़े शहरों में जो बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि है, यह ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्राम पंचायत से, हमारे खेतों से लोगों को वहां विस्थापित करती है, तो यह बात केवल दिल्ली की नहीं है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं और सहमत भी हैं कि इसका हमें कोई उपाय ढूंढना होगा।

जहां तक दिल्ली में अनअथराइज्ड कालोनीज के रेगुलराइजेशन की बात है, मैं सोचता हूं कि पूरे देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में दिल्ली ही एक शहर है जहां अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, अनरेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं, टू-बी-रेगुलराइज्ड अनअथराइज्ड कालोनीज हैं। इनकी सीमा बांधनी है। इनकी सीमा बांधना, इनको कैसे विस्थापित किया जाए, इनके लिए क्या उपाय ढूंढे जाएं अगर उसी जमीन में हमें उनके लिए आवास बनाने हैं, आवास योजना लानी है। अगर उस काम में दो साल का समय लगेगा, तो उस समय तक उनको कहां हटाया जाए। फिर जब हटाने की बात करते हैं, तो दूसरी जगह के लोग कोर्ट चले जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी कठिनाइयां है। यह बात भी सच है, कुछ माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया, कि यहां अन्य एजेंसीज भी हैं - एमसीडी है, डीडीए है, दिल्ली सरकार है और डेल्ही अर्बन आर्ट्स कमीशन भी है। इन चार-पांच एजेंसीज में जिस प्रकार का समन्वय होना चाहिए, वैसा सही समन्वय नहीं बन पाता है, यह बात सही है। इसका भी प्रयास हो रहा है कि किस प्रकार इनमें कोऑर्डिनेशन किया जाए क्योंकि जब तक अनअथराइज्ड कालोनीज की सही सीमा नहीं बनेगी, काम पूरा नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत से आवेदन आते हैं कि किसी अनअथराइज्ड कालोनीज की सीमा गलत बनी है, एक बार जब सीमा बन जाए और हम उसको एप्रूव कर दें, तो कुछ लोग रह जाएंगे और फिर से एक नई शुरूआत करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से इस प्रयास पर हम लगे हैं और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आवास योजना आज अमीरों की न हो, बल्कि सबसे गरीब वर्ग की हो, जो हमारे इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स हैं, उनकी हो। डीडीए ने लक्ष्य बनाया है और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि तीस हजार मकानों पर काम चल रहा है, तीस हजार और लिए जाने हैं। हम एक लाख मकान इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए बनाएंगे। ये भी कम रह जाएंगे, इसलिए यह प्रयास किया जाएगा कि इसको एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया जाए। आज दिल्ली को राजधानी बने हुए 100 साल पूरे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली एक सुंदर नगर हो, सुंदर महानगर हो, तो जब तक इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए मकान नहीं बन पाएंगे, नई झुग्गी-झोपड़ियां और बनेंगी, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए डीडीए को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप सब काम छोड़ दो, आप कोई बड़े मकान, एचआईजी या एमआईजी के चक्कर में मत पड़िए, डीडीए का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार इकोनोमिकली वीकर सेक्शन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए जाएं। यही हमारा प्रयास है।

मास्टर प्लान के परिवर्तन की, संशोधन की शुरूआत हो गयी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक कमेटी है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? मास्टर प्लान डीडीए बनाती है, यह कभी-कभी ऑफिसेज में बन जाता है, जमीनी स्थिति उसमें नहीं आ पाती है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक समिति बनाई है और हमने डीडीए में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे वह सही बन पाए। मैं स्वागत करूंगा आप सभी माननीय सदस्यों का कि आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास भी दिल्ली के बहुत सारे लोग आते हैं, सुझाव लाते हैं, आप उनसे सुझाव मंगवाइए और वह सुझाव आप मुझे भेजिए। मैंने एक अपेक्स कमेटी बनाई है। जब डीडीए मास्टर प्लान बना लेती है, तब यह मंत्रालय के पास आता है और यह बात भी सही है कि मत्रालय के पास इसे देखने का कोई तंत्र नहीं है कि यह सही है या नहीं।

इसलिए मैंने एक एपेक्स कमेटी बनाई है, जो इसकी फाइनल जांच करेगी। हम उस समय इसे इंटरनैट पर डालेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि यह केवल आफिस में नहीं बनी है, खुलकर, आप सबकी भागीदारी से बनी है। सब लोग चाहते हैं कि छूट मिल जाए, इतनी छूट नहीं मिल सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो सम्भव है, वह किया जाए।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या मास्टर प्लान लागू है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के बारे मे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इसलिए कोई रोक नहीं है। आज के दिन में मास्टर प्लान लागू है। यहां पर मानिटरिंग कमेटी की बात

भी हुई। इसकी कई शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। मुझे विश्वास है कि सदन जब यह बिल पास करेगा तो जो यह समस्या है कि चार सदस्य मानिटरिंग कमेटी में आ जाएं और शिकायत करें कि यह गलत है या वह सही है, इस तरह भय का जो वातावरण दिल्ली में पैदा हुआ है, वह सदन की सहमति से और कानून से खत्म हो जाएगा तथा लोगों को राहत मिलेगी।

जहां तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, इस पर कई जगह बातचीत हुई है। आप सबने जो इस बारे में सुझाव दिए हैं और विचार प्रकट किए हैं, मैं गृह मंत्री जी तक उन्हें पहुंचा दूंगा। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत साल पहले दिल्ली को राज्य का थोड़ा सा दर्जा दिया गया था।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): दिल्ली सुंदर बने, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। लेकिन यह नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां पर गंदगी, बदबू और उससे पैदा होती बहुत सी बीमारियां हैं। इसके लिए आपकी सरकार या दूसरी अन्य सरकार कोई भी नीति बना ले, हमने भी बनाई थी और काम शुरू किया था, लेकिन बात नहीं बनी। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। जो नालियों की गंदगी है उसके लिए आप एक सीवर लाइन बनाने और उसे गांवों में खेतों में डाल दें। वहां पर यह गंदगी जाए, एक तो उससे खेतों में खाद मिलेगी और दूसरे दिल्ली भी साफ और सुंदर रहेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुझाव नहीं है, बल्कि इस बात को डॉ. राम मनोहर लोडिया जी ने कहा था और मुझे इस बात का गर्व है। उन्होंने सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान के जितने शहर हैं, वहां की सीवर लाइनों को, शहर की गंदगी सहित इकट्ठा करके नालों द्वारा शहर से 10-12 किलोमीटर दूर जो गांव हैं, उनके खेतों में डाला जाए। इससे खेतों में खाद भी मिलेगी और अन्न भी ज्यादा पैदा होगा। इस तरह की अगर सरकार नीति बनाती है तो हम आपको बधाई देंगे और आपकी सरकार इस काम के लिए अमर हो जाएगी।

श्री कमल नाथ: मैं मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं उनके अच्छे सुझाव के लिए। इसे हम जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के दूसरे चरण में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है और हमारा लक्ष्य है कि कचरा मुक्त भारत बनाया जाए। लक्ष्य होना तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है कि शहर की गंदगी को सीवर के माध्यम से शहर के बाहर ले जाकर खेतों में डाला जाए।

एक माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की बात की थी, लेकिन यह विषय दिल्ली का है। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह भी ठीक है कि वहां से इस देश को प्रधान मंत्री मिले हैं। यह भी सही है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है और जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन में जो उनके सुझाव हैं, मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): रिव्यू कर लीजिए।

श्री कमल नाथ: मैं करूंगा। जहां तक कॉमनवैल्थ गेम्स के विलेज की बात है कि उसमें शेयर अलाट कर दें, उसमें कुछ परेशानी है, क्योंकि उसमें जो अतिरिक्त एरिया बनाया है, वह एक टावर में नहीं है, यह पूरे फुट प्रिंट में है। इसमें जितने फ्लैट्स हैं, उनमें पांच या सात, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, स्केवयर मीटर बड़ा है। एक टावर गलत है तो उसे सील कर सकते थे, लेकिन यह पूरा फुट प्रिंट है। इसकी हम उपराज्यपाल महोदय से चर्चा कर रहे हैं और अपने मंत्रालय में भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्डर को दंडित किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अलाटमेंट की बात मैंने कही थी।

श्री कमल नाथ: अलॉटमेंट पर हमने यह सोचा है कि हम पहले 100 फ्लैटों की मार्किट कीमत मिल जाए। आज के माहौल में अलॉटमेंट करना संभव नहीं है। पहले हम 100 फ्लैट ऑक्शन करेंगे और इसमें जो सही मार्किट वैल्यू है, वह सामने आ जाएगी। तब हम इसे शासकीय अधिकारियों को देंगे, अगर वित्त मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे कि आप पैसे दे दो और ले जाओ। अगर गृह मंत्रालय चाहता है तो हम कहेंगे, पैसे दे दो और ले जाओ।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एमपी लोग चाहते हैं।

श्री कमल नाथ: अब एमपीज के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अगर माननीय स्पीकर ऐसा आदेश देंगी तो इस पर आवश्यक रूप से सोचा जाएगा।...(व्यवधान) मैडम, आज परेशानी अलॉटमेंट की नहीं है, आज परेशानी यह है कि जिन्हें यह अलॉट हो गया, उन्हें पजैशन कैसे दिया जाए। जब उन्हें पजैशन दिया जाएगा, तो माननीय सदस्य के विचार पर सोच-विचार किया जाएगा। माननीय सम्पत जी ने कई सुझाव दिये हैं और एक जो चिट्ठी गयी थी कि there is no record.

सभापति महोदया : आपने कहा कि मुझ पर इस बात को छोड़ते हैं तो मैं यहां सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इस विषय में हम आपसे और संबंधित विभाग से विचार-विमर्श कर लेंगे।

श्री कमल नाथ : अगर आपके ऐसे कोई आदेश आएं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मुझे मौका मिले, अपने साथियों की कुछ मदद इसमें हो जाए। माननीय सम्पत जी ने कहा था, he had said that there is no record kept of people coming in and out of Delhi. We do not keep any record of people coming from the country in and out of Delhi. This is being done in some other countries but we do not keep any such records. I do not think that it is desirable to keep such records also.

He had emphasised that the Plan is just not only made for the richer sections but for the weaker sections also. The focus of this Bill is on the weaker sections, unauthorised colonies, JJ colonies, rural parts, godowns, etc. They form 95 or 98 per cent of our population. So, the focus will have to remain there. माननीय विजय बहादुर सिंह जी ने एमसीडी और डीडीए में कोआर्डिनेशन बहुत कम है, के बारे में कहा था। मैंने इस बारे में जिक्र कर लिया है और मुझे विश्वास है कि एमसीडी और डीडीए के कोआर्डिनेशन में नये तरीके से गति आयेगी। माननीय महताब जी ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा की बात की और उनका यह भी आइडिया था कि the Master Plan must be of long-term. It must be for 25 years.

The Master Plan, which is made now, will have the vision of the next 25 or 30 years. A Master Plan has got to be visionary. It cannot be static. It cannot be taken into account because you make a Master Plan for the future and not for the past. अगर भविष्य के लिए यह मास्टर प्लान बनता है तो यह आज वर्तमान की स्थिति ही केवल नहीं देखेगा बल्कि भविष्य में कितनी आबादी बढ़ेगी और इसमें क्या-क्या हो

सकता है और इसकी कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, ये अगले 25 साल को देखते हुए, उस दृष्टिकोण से मास्टर प्लान बनेगा।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के विचारों में बहुत वजन था और इन विचारों का ध्यान रखते हुए ही ये मास्टर प्लान का रिविजन करेंगे। मैं समझता हूं कि उनके ये सुझाव अगले एक-दो साल और आते रहेंगे ताकि एक अच्छा मास्टर प्लान बनाने में उनकी भी भागीदारी रहे।

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to the 31st Day of December, 2014 and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title

were added to the Bill.

SHRI KAMAL NATH : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, if the House agrees, we would skip the lunch hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.